

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 189 /11-सी-FP/UP/Others/24318/2017, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 23, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:— रिलायन्स 4जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिलकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

सन्दर्भ— उ0प्र0 शासन का पत्रांक-146/14-2-17-800(161)/2018, दिनांक 23.04.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की प्रयोक्ता एजेंसी से वचनबद्धता मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-205/मी0क्षे0/33, दिनांक 10.07.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोक्त प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय
23/7

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या— /11-सी-FP/UP/Others/24318/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
3. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।